न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 31/2005/(2005/00004) जिला–नागौर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खींवसर जिला नागौर।

–––अपीलांट

बनाम

1. जगराम पुत्र पूनाराम
2. सम्पतराम पुत्र गोविन्दराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मिर्जास तहसील व जिला नागौर
3. मसरूर अहमद पुत्र मोहम्मद अख्तर
4. ईरसाद अहमद पुत्र मोहम्मद अख्तर
5. जाहिद अफरोज पुत्री मोहम्मद अख्तर
   समस्त जाति मुसलमान निवासी नागौर तहसील व जिला नागौर ।
6. ग्राम पंचायत जनाणा जरिये सरपंच।

–––––रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अपर कलक्टर, नागौर दिनांक 07–04–2005
अन्तर्गत अपील संख्या 18/2004 बउनवान जगराम बनाम
मशरूर अहमद व अन्य

————

उपस्थित–
1. श्री बी.एस.शेखावत राजकीय अभिभाषक अपीलांट
2. श्री डूंगर सिंह एवं पुष्पेन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स
3. श्री भींयाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स सं0 1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 28–06–2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने ग्राम पंचायत जनाणा के नामान्तरकरण संख्या 27 दिनांक 8–6–69 के विरूद्ध एक अपील उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–6–86 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 की अपील को स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, खींवसर को रिमाण्ड कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 16–6–86 के विरूद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील पेश की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–8–91 द्वारा अपील को अस्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, नागौर के निर्णय दिनांक 16–6–86 को यथावत रखने के आदेश पारित कर दिये उसके पश्चात तहसीलदार, नागौर के समक्ष पत्रावली पेश होने पर दोनों पक्षों को सुनकर तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 27–1–2004 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 के नाम नामान्तरकरण व राजस्व

रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने तहसीलदार, नागौर के निर्णय दिनांक 7–1–2004 के विरूद्ध अतिरिक्त कलक्टर नागौर के समक्ष अपील पेश की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 7–4–2005 द्वारा अपील खारिज कर दी और जिसके विरूद्ध तहसीलदार, खींवसर जिला नागौर द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अपर कलक्टर नागौर ने अपना निर्णय दिनांक 7–4–2005 राज्य सरकार को पक्षकार बनाए बिना पारित किया जिसे जिला कलक्टर नागौर ने राजहित के विपरीत मानते हुए अपने पत्र दिनांक 17–5–2005 के द्वारा तहसीलदार, खींवसर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए उक्त प्रकरण में अपील पेश करने हेतु निर्देशित किया। उक्त पत्र तहसीलदार को दिनांक 24–5–2005 को प्राप्त होने पर प्रकरण से संबंधित दस्तावेजात लेकर प्रभारी अधिकारी द्वारा अजमेर आकर राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाई जाकर बिना विलम्ब के श्रीमान् के न्यायालय में पेश की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट (गुणावगुण) पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम पंचायत जनाणा ने नामान्तरकरण संख्या 27 दिनांक 8–6–69 जरिये बेचान अनरजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर तस्दीक किया गया जिसमें राजस्थान लैण्ड रेवेनयू एक्ट नियम 121 की पालना करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपर कलक्टर नागौर के समक्ष अपील पेश की। तहसीलदार खींवसर ने दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय दिनांक 27–1–2004 पारित किया । उक्त निर्णय दिनांक 27–1–2004 विवादास्पद होने से उक्त निर्णय की अपील संभागीय आयुक्त के न्यायालय में पेश करनी चाहिए थी जिसे नहीं कर अपर कलक्टर नागौर के समक्ष पेश की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 7–4–2005 द्वारा उक्त अपील को धारा 135 (2) की मानते हुए अपील अस्वीकार कर सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए भी अपील को

सुनकर खारिज कर दी गई जबकि अपर कलक्टर नागौर यदि अपील को धारा 135 (2) में मानते है तो उन्हें इस अपील को सक्षम न्यायालय में लौटा देना चाहिए था अपील को धारा 135 (2) का मानते हुए तो उन्हें इस अपील को खारिज करने का क्षैत्राधिकार नहीं था। अपर कलक्टर नागौर ने अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपर कलक्टर, नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 7–4–2005 में यह माना है कि पूर्व में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील पेश की गई थी जो दिनांक 8–8–91 द्वारा खारिज की गई थी उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गयी है इसलिए भी उन्होंने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की अपील खारिज की है लेकिन अतिरिक्त कलक्टर ने कानूनी तथ्यों को नहीं समझकर निर्णय पारित किया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपील उपखण्ड अधिकारी, नागौर का आदेश दिनांक 16–6–86 के विरूद्ध अपील पेश की गई जो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा खारिज की गई इसके बाद तहसीलदार खींवसर ने रिमाण्ड आदेश की पालना में अपने निर्णय दिनांक 27–1–2004 को अंतिम निर्णय पारित किया गया इसलिए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं था, इसके बावजूद अपर कलक्टर नागौर ने कानूनी तथ्यों को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विवादग्रस्त आराजियात कस्टोडियन भूमि थी तो इसका नामान्तरकरण रकबा राज दर्ज करने के बजाय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 के नाम नामान्तरकरण संख्या 67 द्वारा उसके खातेदार मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रसीद के नाम थी और मोहम्मद सलीम व मोहम्मद रसीद पाकिस्तान चले लाने के बाद अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 के पिता अख्तर मोहम्मद के नाम दर्ज हो गई उन्होंने अनरजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा भूमि का बेचान कर दिया जबकि यह लैण्ड कस्टोडियन लैण्ड थी न कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम थी इसलिए विवादग्रस्त आराजियात की जांच की न ही नियमों की जांच किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपर कलक्टर, नागौर का निर्णय दिनांक 7–4–2005 एवं तहसीलदार, खींवसर के आदेश दिनांक 27–1–2004 को निरस्त किया जाकर विवादग्रस्त आराजियात को कस्टोडिण्न लैण्ड दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट के राजकीय अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित नामान्तरकरणों के प्रकरणों का निस्तारण करने का अधिकार धारा 135 (2) के अन्तर्गत तहसीलदार को है। तहसीलदार द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से धारा 135 (2) के अन्तर्गत विवादित नामान्तरकरण में आदेश पारित किया है तब ऐसे आदेश की अपील सुनने का अधिकार धारा 75 (1) के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को है जिला कलक्टर को ऐसी अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। तहसीलदार नागौर (खींवसर) द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–1–2004 द्वारा फतेह मोहम्मद के वारिस मोहम्मद सलीम जो पाकिस्तान चला गया जरिये

सेल डीड मोहम्मद अख्तर के द्वारा क्रय किये जाने के खसरा नम्बर 176 व 166 के एक मात्र खातेदार मोहम्मद अख्तर के वर्तमान कायम मुकाम के नाम नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु पटवारी जनाणा को निर्देशित किया गया जो विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–1–2004 यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, नागौर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नागौर के आदेश दिनांक 16.6.86 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 27 दिनांक 8–6–69 निरस्त किया गया। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 1431 दिनांक 17–5–2005 द्वारा तहसीलदार, खींवसर को उक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील पेश करने हेतु निर्देशित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विवादग्रस्त आराजियात के खातेदार पाकिस्तान चले गये थे ऐसी स्थिति में उक्त भूमि राजकीय भूमि घोषित की जानी चाहिए थी। अन रजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व सरपंच द्वारा जांच की जानी चाहिए थी। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्ताव नहीं लिये गये। नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व तथ्यों की भी जांच नहीं की गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि विवादग्रस्त आराजियात के खातेदार वादग्रस्त आराजी की भूमि छोड़कर पाकिस्तान चले गये थे वह भूमि कस्टोडियन हो गई थी नियमों में यह प्रावधान है कि कस्टोडियन भूमि का किसी भी खातेदार को बेचान नहीं किया जा सकता है और न ही किसी के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जा सकता है। विवादग्रस्त आराजियात कस्टोडियन भूमि होने से सरकारी भूमि ही दर्ज की जानी चाहिए। अतएवं तहसीलदार, खींवसर को आदेशित किया जाना न्यायोचित होगा कि विवादग्रस्त आराजियात कस्टोडियन भूमि होने से उसे सरकारी खाते में दर्ज किया जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (अपर कलक्टर) नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07–04–2005 अन्तर्गत नामान्तरकरण अपील संख्या 18/2004 बउनवान जगराम व अन्य बनाम मसरूर अहमद व अन्य एवं तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–1–2004 अन्तर्गत रिमाण्ड पत्रावली बउनवान मो0 मसरूर व अन्य कायम मुकाम मो0 अख्तर विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, खींवसर को आदेशित किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजियात कस्टोडियन भूमि होने से उसे सरकारी खाते में दर्ज किया जावे।

(एल.एन.मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर